19 मई, 2015 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 65वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

मद संख्या 65.10 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा मुलवाना गांव, कोल्लम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स-केरल (टेक्नोपार्क) का अनुरोध

18 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स-केरल (टेक्नोपार्क) ने कुल 5 लाख वर्गफीट के आईटी / आईटीईएस भवन के निर्माण, पानी / बिजली, सड़क तथा पार्क के लिए अन्य अवसंरचना के लिए 01.80 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 10 अप्रैल, 2015 उपलब्ध कराया गया है। पट्टा विलेख दिनांक 10 अप्रैल, 2015 भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 90 साल है। पट्टाधारक प्रत्येक वित्त वर्ष के 31 मार्च को या इससे पहले केएसआईटीआईएल को 4.45 एकड़ भूमि के लिए 10000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से पट्टा अनुरक्षण किराया का भुगतान करेगा।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 65.11 : अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुष्टि के लिए मामले

(i) 22 अप्रैल, 2015 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लुपिन लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

फर्मास्युटिकल उत्पादों के विनिर्माण के लिए एलओपी दिनांक 23 अप्रैल 2012 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए उपर्युक्त यूनिट को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को समय समय पर 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं तथा पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 अप्रैल, 2015 तक वैध है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) यूनिट ने 31 मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार 89.11 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया है।

(ii) कंपनी ने पिछली बार वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद सिविल निर्माण तथा प्लांट एवं मशीनरी खड़ी करने, विद्युत इंस्टालेशन आदि के लिए 20.86 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

(iii) परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण के रूप में यह बताया गया है कि विभिन्न देशों में विनियामक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। प्राधिकरणों से अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही, जिसमें सामान्यतया 24 से 48

महीने लगते हैं, यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हो सकता है। यूनिट ऐसे अनुमोदनों की प्रतीक्षा कर रही है।

(iv) यूनिट ने 29000 वर्गमीटर का निर्मित क्षेत्र दर्शाया है जिसमें से यह 9486 वर्गमीटर का निर्माण कर चुकी है जो कुल प्रक्षेपित निर्मित क्षेत्र का 33 प्रतिशत है। यूनिट ने यह भी बताया है कि एफडीए से उत्पाद के लिए अनुमोदन मिल जाने तक शेष भवन का निर्माण हो जाएगा।

(v) यूनिट ने 3 उत्पादों (एथैंबुटल, रोसवासटेटिन और लुरासोडीन) के कुछ प्रदर्श बैच का विकास किया है तथा उत्पादों के विपणन के लिए यूएसएफडीए से अनुमोदन के लिए आवेदन किया है।

(vi) यूनिट 50 अन्य उत्पादों के संबंध में विभिन्न देशों के एफडीए के पास आवेदन कर रही है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड - एसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की थी।

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में वाणिज्य विभाग में फाइल पर प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा 22 अप्रैल, 2016 तक यूनिट को विस्तार प्रदान किया गया है।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।

******